प्रेषक

पुलिस उपायुक्त,
यातायात, गुरूग्राम।

प्रेषित

1. सहायक पुलिस आयुक्त, यातायात, पूर्व/हाईवे, गुरूग्राम।
2. सहायक पुलिस आयुक्त, यातायात, पश्चिम, गुरूग्राम।
3. सभी यातायात निरीक्षक, गुरूग्राम।
4. प्रबंधक थाना यातायात, प्रथम, द्वितीय व के0एम0पी0, गुरूग्राम।
5. प्रभारी यातायात कन्ट्रोल रूम, गुरूग्राम।

क्रमांक: 2402-21 दिनांक: 31-03-2020

विषय :— **(COVID-19) - 31 मार्च 2020 को गैर—सरकारी संस्थओं/कंपनियों में कार्यरत Accountant व सैलरी बनाने वाले कर्मचारियों को लॉकडाऊन के दौरान नहीं रोकने बारे।**

यादि,

जैसा कि आपको विदित है कि दिनांक 31—03—2020 को महीने का आखरी दिन है। इस दिन गैर—सरकारी कम्पनियो मे कार्यरत कर्मचारियो को सैलरी पहुचाना जरूरी है। यदि समय पर कम्पनियो मे तैनात कर्मचारियो को सैलरी नही पहुचाई गई तो लोगो मे लॉकडाउन के दौराने गलत सन्देश जा सकता है, जिससे कानून व्यवस्था भी खराब हो सकती हैं।

अतः आप सभी को निर्देश दिए जाते हैं कि लॉकडाऊन के दौरान गैर—सरकारी संस्थाओं/कंपनियों में कार्यरत Accountant व सैलरी बनाने वाले अन्य कर्मचारियो से चैकिंग के दौरान बात—चीत करे और उनका कम्पनी से सम्बन्धित पहचान पत्र (Identity Card) चैक करे और ठीक पाये जाने पर तुरन्त जाने दे यह सुनिश्चित करेगें कि उपरोक्त कर्मचारियों को किसी प्रकार की असुविधा उत्पन्न न हो। संबंधित सहायक पुलिस आयुक्त, यातायात, गुरूग्राम इस दौरान अपने—2 क्षेत्राधिकार में लगाई गई ड्यूटियों को चैक करेगें। पालना दृढता से की जावे।

31/03/2020
पुलिस उपायुक्त,
यातायात, गुरूग्राम।